48

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1427-तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-05-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक-327/1999-2000/अपील

.....

श्रीधर तनय गंगाप्रसाद

निवासी-ग्राम हिनौती थाना गढ़

तहसील सिरमौर, जिला-रीवा(म0प्र0)

--------आवेदक

विरूद्ध

वाल्मिक प्रसाद तनय स्व0 लक्ष्मण प्रसाद

निवासी-ग्राम हिनौती थाना गढ़

तहसील सिरमौर, जिला-रीवा(म0प्र0)

--------अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-05-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है सरपंच ग्राम पंचायत सेदहा विकासखण्ड गंगेव तहसील सिरमौर की नामांतरण पंजी क्रमांक -8 प्रस्ताव क्रमांक 2 में पारित 23.03.98 को बटवारा आवेदक के पक्ष में किया गया। इसी आदेश विरूद्ध अनावेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण 37/अ-6-अ/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2000 से अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक-327/1999-2000/अपील में पारित आदेश दिनांक 15-05-2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर मानकर निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार सिरमौर द्वारा 10.08.94 को प्रश्नाधीन भूमि एवं अन्य भूमियों का अनावेदक के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया था। यदि आवेदक उक्त प्रश्नाधीन भूमि का सहखातेदार था और उसके नाम पूर्व में नामांतरण स्वीकार नहीं किया था, तो सक्षम न्यायालय में तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.08.94 को चुनौती देना चाहिये था, जो नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश दिनांक 10.08.94 अंतिम हो गया । इस प्रकरण में मुखय विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या बिना सहखातेदार होते हुये भी भूमि का बटवारा कराया जा सकता है। संहिता की धारा 178 में सहखातेदार को बटवारा कराने का अधिकार प्राप्त है। संहिता की धारा 178 के अनुसार पैत्रिक भूमि को सहखातेदार बटवारा कराने का अधिकारी होता है। इस प्रकरण में आवेदक के सहखातेदार न होते हुये भी उसके पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 23.03.98 को बटवारा आदेश पारित कर दिया, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। अनविभागीय अधिकारी दवारा इस विधिक प्रश्न पर बिना

विचार किये अनावेदक की अपील को निरस्त किया गया है । इसी कारण अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील में इस वैधानिक बिन्दुओं पर विचार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त कर अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-05-2006 विधिनुकूल एवं न्यायासंगत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,